झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

भूतल, एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

पत्रांक – 690
01.07.2021

।। प्रेस विज्ञप्ति ।।

सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) झारखण्ड सरकार के आदेश ज्ञापांक–375, दिनांक–30.06.2021 के द्वारा राज्य में कोविड–19 वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से दिनांक–01.07.2021 के प्रातः 06:00 बजे से अगले आदेश तक E-Pass के संबंध में निम्न् दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं:–

1. निजी वाहन से अन्तर्राज्यीय यात्रा करने वाले व्यक्तियों को **E-Pass,** वैध पहचान पत्र एवं रेल/वायूयान यात्रा के संदर्भ में वैध टिकट के साथ यात्रा करना आवश्यक होगा। E-Pass वेबसाईट–epassjharkhand.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
2. दूसरे राज्यों से निजी वाहनों अथवा टैक्सी से झारखण्ड आने वाले यात्रियों के लिये E-Pass आवश्यक होगी।
3. दिनांक–01.07.2021 के प्रातः 06:00 बजे से राज्य के अन्दर निजी वाहनों से आवगमन में E-Pass की आवश्यकता नहीं होगी।
4. भारत सरकार/झारखण्ड सरकार/अन्य राज्य सरकारों के वाहनों को E-Pass की आवश्यकता नहीं होगी।
5. राज्य से होकर गुजरने वाले वाहनों को E-Pass की आवश्यकता नहीं होगी।
6. राज्य सरकार के द्वारा कोविड–19 संक्रमण के रोकथाम हेतु निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर Disaster Management Act एवं MV Act के तहत कार्यवाही की जाएगी।

उक्त के आलोक में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

01/07/21

(किरण कुमारी पासी)
परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।